

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 98/2014 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2012/00043

1. दर्शनाराम पुत्र पि. मुतबना मानाराम पुत्र जगराज जाति अहीर यादव निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

1. ग्राम पंचायत किलावाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत किलावाली।
2. मानाराम पुत्र जगराज जाति अहीर, निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. बाबू राम उर्फ बूटाराम पुत्र जगराज राम यादव अहीर निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री सुरेश मोहता
श्री विजय कुमार पारीक

अभिभाषक अपीलांत
अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स सं. 2 ता 3

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश दिनांक 25.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

1- वादग्रस्त भूमि चक 31 एमजेडी पटवार हल्का बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 19/19 में मानाराम पुत्र जगराज का हिस्सा 0.632 में से 0.422 हैक्टर भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के नाम दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल संख्या 290 दर्ज किया गया है। अपील अपीलांत में अपीलांत दर्शनाराम पुत्र पि. मुतबना मानाराम को रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 का खोलायत पुत्र बताया गया है। जिसका खोलानाम रजिस्टर्ड बताया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 मानाराम पुत्र जगराज अपीलांत को हक से महरूम करने के लिए खोलानामें को मन्सूख करवाने का दावा सिविल न्यायालय हनुमानगढ़ में प्रस्तुत किया गया। सिविल न्यायालय हनुमानगढ़ ने उक्त दावें में खोलेनामों को मन्सूख करने की डिक्री जारी कर दीं। अपीलांत ने सिविल न्यायालय की उक्त डिक्री के विरुद्ध अति. सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। इसी बीच ग्राम पंचायत छापावाली द्वारा इंतकाल संख्या 290 दिनांक 18.01.2005 दर्ज कर दिया। अपीलांत ने ग्राम पंचायत किलावाली के इंतकाल संख्या 290 दिनांक 18.01.2005 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 25.11.2011 को अपीलांत की उक्त अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 25.11.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे आदेश क्रमांक 627-633 दिनांक 27.10.2014 की पालना में हस्तान्तरित कर इस न्यायालय में पेशी में ली गई।

2- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किया गया गोदनामा माननीय सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 28.04.1990 को गैर कानूनी घोषित किया जाकर निरस्त फरमाया जा चुका है। अपीलांट ने सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ़ द्वारा दिये गए आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध सिविल दावा 6 वर्ष पश्चात अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर एकतरफा निर्णय करते हुए सिविल न्यायाधीश (क.ख) संख्या 2 श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.04.2012 को सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 28.04.1992 को निरस्त कर दिया गया है। सिविल न्यायाधीश (क.ख) संख्या 2 श्रीगंगानगर के एकतरफा आदेश एवं डिक्री दिनांक 03.04.2012 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.02.2018 द्वारा अपास्त कर दिया। अपीलांट के पक्ष में किया गया गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है। उक्त तथ्यों पर दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने सहमति जाहीर की।

3- हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलांट के पक्ष में किया गया गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है। जिस पर अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस सहमति भी जाहिर की है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2011 उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2011 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



9/5/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर